कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

शुद्धि पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या CWJC No. 9799/ 2018 सुनील कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 25.02.2019 को पारित आदेश के आलोक में आधार वर्ष 31.12.2012 की वरीयता सूची जिला प्राम्भिक शिक्षक स्थापना समिति, पटना के द्वारा दिनांक 11.03.2019 को आहुत बैठक में अनुमोदनोपरान्त कार्यालय ज्ञापांक 2080 दिनांक 13.03.19 एवं ज्ञापांक 2081 दिनांक 13. 03.19 के द्वारा मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आदेश निर्गत किया गया है जिसमें संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 46 दिनांक 11.01.2019 के आलोक में प्रोन्नत शिक्षकों को कॉन्सिलिंग कर पदस्थापन करने हेतु तिथि निर्धारित किया गया है। संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 46 दिनांक 11.01.2019 के कंडिका (3) में अंकित है कि जिस विद्यालय से शिक्षक को प्रोन्नति दी जा रही है यदि उस विद्यालय में प्रोन्नति का पद रिक्त हो तो उसी विद्यालय में पदस्थापित प्रथमतः दिव्यांग शिक्षक (दिव्यंगता का न्यूनतम प्रतिशत 40 हो) तत्पश्चात महिला शिक्षक एवं अन्य शिक्षक को क्रमशः प्राथमिकता दी जायेगी। यदि एक पद के लिए एक से अधिक दिव्यांग/महिला/ पुरुष में दिव्यांग होंगे तो उन्हें वरीयता के आधार पर पदस्थापित किया जायेगा। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में नव प्रोन्नत शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापन हेतु काउन्सिलिग में उपस्थित होने के लिए आंशिक संशोधित करते हेतु निम्न प्रकार तिथि निर्धारित की जाती है :–

01. दिनांक 18.03.2019 को स्नातक विज्ञान की वरीयता सूची के अनुसार स्नातक विज्ञान में प्रोन्नत शिक्षकों की सूची के सभी शिक्षिका, विकलांग शिक्षक/शिक्षिका, एक वर्ष के अन्दर सेवा निवृत होने वाले शिक्षक/शिक्षिका , जिस विद्यालय से शिक्षक को प्रोन्नति दी जा रही है यदि उस विद्यालय में प्रोन्नति का पद रिक्त हो तो वैसे भी प्रोन्त शिक्षक एवं क्रम संख्या 01 से 50 तक के सभी शिक्षक उपस्थित होंगे।
02. दिनांक -19.03.2019 को स्नातक विज्ञान की वरीयता सूची के अनुसार स्नातक विज्ञान में वरीयता सूची के क्रम संख्या 51 से 202 तक के सभी शिक्षक उपस्थित होंगे।
03. दिनांक 20.03.2019 को स्नातक कला की वरीयता सूची के अनुसार स्नातक कला में प्रोन्नत सभी शिक्षक/शिक्षिका उपस्थित होंगे।
04. काउन्सिलिंग के समय सभी शिक्षक/शिक्षिका अनिवार्य रुप से अपनी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगें।
05. काउन्सिलिग का स्थल – राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाँकीपुर, पटना। समय – पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक।

शेष शर्त्तें पूर्ववत रहेगी ।

ह0/– (ज्योति कुमार)
जिला शिक्षा पदाधिकारी
पटना।

ज्ञापांक 2149 /स्थापना, पटना, दिनांक 16/3/19 /

प्रतिलिपि :– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), पटना / सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी / विद्यालय अवर निरीक्षक एवं संबंधित प्रोन्त शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्योति कुमार 16/03/19
जिला शिक्षा पदाधिकारी
पटना।